

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रमुख प्रावधान

राज्य का प्रथम कानून बनाने के संबंध में संवैधानिक स्थिति

1. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन :-

भारतीय संविधान के अध्याय 11 में केन्द्र और राज्य के संबंधों का विवेचन किया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई हैं :-

- i. संघ सूची :- इसमें वर्णित विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है।
- ii. राज्य सूची:- इसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मण्डलों को है।
- iii. संवर्ती सूची:- इसमें वर्णित विषयों पर संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है।

2. संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गए कानूनों में विरोधाभास होने पर उसका प्रभाव :-

संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रावधान है कि यदि समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों द्वारा बनाये गए कानूनों में यदि कोई विरोधाभास हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। किन्तु यदि विधान मण्डलों द्वारा बनाये गए कानून पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली जाती है तो विरोधाभास होते हुए भी राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में प्रभावी होगा।

3. मुद्रांक कर की दरों के निर्धारण की शक्तियों का विभाजन :-

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची (समवर्ती सूची) के आइटम नम्बर 44 में स्टाम्प ड्यूटी की दरों एवं न्यायिक स्टाम्प को छोड़कर स्टाम्प ड्यूटी का विषय अंकित है, अर्थात् स्टाम्प ड्यूटी के प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों (मशीनरी प्रोविजन) पर संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों कानून बनाने हेतु सक्षम है। इस विषय पर भारत सरकार द्वारा "भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899" बनाया हुआ है। पूर्व में राजस्थान में अलग से कानून न बनाकर उक्त अधिनियम को ही "राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952" द्वारा अपनाया हुआ था। वर्ष 1998 में राजस्थान राज्य ने अपना अलग "राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998" बना लिया। वर्तमान में इसी एक्ट के प्रावधान राजस्थान राज्य में प्रभावी हैं।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 में शामिल नए प्रावधान

1. धारा-2

धारा 2 में निम्नलिखित नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं :-

- (i) "वायु अधिकार" से विद्यमान भवन से स्वतंत्र विक्रय या उपभोग हेतु उपरी तलों पर निर्माण का अधिकार अभिप्रेत है।
- (ii) "Clearance list" (समाशोधन सूची) से संविदाओं से संबंधित ऐसी कोई सूची अभिप्रेत है जो संगम के नियमों या उपविधियों के अनुसार किसी संगम के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
परन्तु कोई भी लिखित, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तबतक समाशोधन सूची नहीं समझी जाएगी जब तक की ऐसा समव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से समुचित रूप से नियत किसी अटरनी द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंतर्विष्ट न हो, अर्थात्
"मैं/हम इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूची में, रेखांकित समव्यवहारों और संगम के नियमों/उपविधियों के अनुसार समाशोधन गृह को प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित समव्यवहारों सहित मेरे/हमारे समव्यवहारों का पूर्ण सत्य विवरण अंतर्विष्ट है। मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऐसा कोई समव्यवहार लोपित नहीं है जिसके लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 या, यथास्थिति, अनुच्छेद 36 के अधीन किसी छूट का दावा किया गया है।"
- (iii) "स्थावर सम्पत्ति" के अंतर्गत भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और भू-बद्ध, या किसी भू-बद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकडी हुई वस्तुएं हैं किन्तु इसके अन्तर्गत खडा हुआ काष्ठ, उगी हुई फसलें या घास नहीं हैं।
- (iv) "जंगम सम्पत्ति" (चल सम्पत्ति) के अंतर्गत खडा हुआ काष्ठ उगी हुई फसल या घास, वृक्षों के फल या रस, और स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति है।
- (v) "महानिरीक्षक, स्टाम्प" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प अभिप्रेत है।
- (vi) "बाजार मूल्य" ऐसी किसी भी सम्पत्ति के संबंध में, जो लिखत की विषय वस्तु है "बाजार मूल्य" से वह कीमत है, जो ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई

होती यदि उसे उक्त लिखत के तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता या लिखत में कथित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है।

(vii)

“लोक अधिकारी” से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथा परिभाषित कोई लोक अधिकारी अभिप्रेत है

2. धारा- 9 (क)

धारा 9 के साथ नई धारा 9 (क) जोड़कर पेनल्टी व ब्याज घटाने की शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई है। (पूर्व में राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 की धारा 71 एवं 71 ए में संशोधन के द्वारा ब्याज एवं पेनल्टी में छूट का प्रावधान था।)

3. धारा-10

मुद्रांक कर की व्यवस्था के लिए फ्रेकिंग मशीनों की व्यवस्था करने हेतु नई उपधारा 3 से 6 जोड़ी गई है।

4. धारा- 21

दस्तावेज की प्रति एवं काउन्टर प्रति पर कमी मुद्रांक कर की राशि का प्रावधान किया गया है।

पुराने अधिनियम की धारा 19 ए के तहत राज्य में स्थित अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज राज्य से बाहर पंजीबद्ध होने पर उसकी प्रति राज्य में प्राप्त होने पर कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा राज्य में प्रचलित उच्च मुद्रांक दर पर अन्तर राशि वसूल करने का प्रावधान था । नये अधिनियम में बाजार मुल्य पर अन्तर की राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है एवं कलेक्टर मुद्रांक को स्वविवेक से कार्यवाही करने की शक्ति देने की व्यवस्था की गई है ।

5. धारा-34

विभिन्न दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर किस पक्षकार का होगा इस बाबत स्थिति को स्पष्ट किया गया है ।

6. धारा-55

अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेजों का पंजीयन मुद्रांक कर से बचने की नियत से नहीं करवाने के मामले में राजस्थान मुद्रांक नियमावली के नियम 66 सी में दिये गये प्रावधानों को इस अधिनियम में धारा 55 के रूप में शामिल किया गया है ।

7. धारा-66

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को पूर्व में सामान्य नियन्त्रण एवं अधिक्षण की शक्तियाँ राजस्थान मुद्रांक नियमावली के नियम 72 के तहत दी गई थी । इन शक्तियों को इस अधिनियम में शामिल करने के लिये धारा 66 में नया प्रावधान किया गया है ।

8. धारा-72

दस्तावेज पर देय मुद्रांक का अन्तिम निर्धारण होने पर बकाया निकाली गई राशि पर आदेश की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज लेने का प्रावधान किया गया है । पूर्व में यह प्रावधान राजस्थान मुद्रांक नियमावली 1955 के नियम 71(ए) में आदेश की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज लेने का प्रावधान था ।

9. धारा-76

करापवंचन की नियत से गलत तथ्य अंकित करने के प्रकरण में अभियोजन किये जाने तक यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो वह दण्ड के साथ अतिरिक्त मुद्रांक कर की बकाया राशि भी वसूल कर सकेगा एवं उसका भुगतान कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

10. धारा-81

यह धारा नई जोड़ कर धारा 85 के तहत प्रदत्त निरीक्षण के अधिकार में बाधा उत्पन्न करने पर दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है ।

11. धारा-90

संसद द्वारा निर्धारित मुद्रांक कर को प्रभावी बनाने की व्यवस्था भारतीय संविधान की 7 वी संविधान की प्रथम सूची (संघ सूची) के आईटम नं० 91 में जो दस्तावेज वर्णित है उन पर मुद्रांक कर निर्धारण हेतु संसद ही सक्षम है इसलिये संसद द्वारा उक्त दस्तावेजों में निर्धारित मुद्रांक कर की राशि राजस्थान में प्रभावी करने के लिये धारा 90 में नया प्रावधान किया गया है ।

12. धारा-91

पुराने अधिनियम को समाप्त करके उसके तहत जारी अधिसूचनाओं एवं नियमों को सुरक्षित रखने का प्रावधान इस धारा के अन्तर्गत किये गये है ।

13. आर्टिकल 21

उच्च न्यायालय के आदेश से कम्पनी का अमलगमेशन के दस्तावेज पर मार्केट वेल्यू पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर लेने का प्रावधान किया गया है ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो संशोधन के साथ नये एक्ट में शामिल किये गये है ।

धारा 2 में बैंकर, बॉण्ड, कन्वेन्स, लीज, पॉवर ऑफ एटोनी एवं सोलजर की परिभाषाओं को संशोधित कर स्पष्ट किया गया है ।

धारा 3 में मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1894 के स्थान पर मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 किया गया है ।

धारा 5 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 4 में संशोधन करके एक ही मामले में एक से अधिक दस्तावेज पंजीबद्ध होने पर मूल दस्तावेज पर मुद्रांक कर देने पर अन्य दस्तावेजों को मुद्रांक कर से मुक्त रखा गया है ।

धारा 7 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 6 के परन्तुक को नये एक्ट को हटाया गया है, यदि एक दस्तावेज अनुसूचि के एक से अधिक अनुच्छेदों के तहत आता है तथा पूर्ण मुद्रांक युक्त है तो उस पर पूर्व में 2 रुपये मुद्रांक कर लेने के प्रावधान को हटाया गया है ।

धारा 9 में संकलित स्टाम्प ड्यूटी लेने के अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को दिये गये है ताकि राजस्व प्राप्ति में विलम्ब नहीं हो ।

धारा 10 में फ्रैंकिंग मशीनों के उपयोग की व्यवस्था की गई है, भारतीय स्टाम्प एक्ट में यह व्यवस्था नहीं थी ।

धारा 11 बिल ऑफ एक्सेजेंच एवं प्रोमेसरी नोट के प्रावधानों को सुसंगत बनाया गया है ।

धारा 13 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 13 में किसी दस्तावेज के लेखन एवं टाईप करने में एक से अधिक स्टाम्प पेपर काम में लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के संबंध में स्पष्टिकरण 1 व 2 में जोड़ा गया है ।

धारा 15 में "अमुद्रांकित" शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिये "अपर्याप्त मुद्रांकित" शब्द प्रतिस्थापित किया गया है ।

धारा 17 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 17 को संशोधित करके निष्पादन की तिथि या अगले कार्य दिवस तक दस्तावेज को मुद्रांक युक्त करने का प्रावधान किया गया है ।

धारा 33 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 30 में भारत सरकार द्वारा किये गए संशोधन के फलस्वरूप 20.00 रुपये की रसीद पर स्टाम्प ड्यूटी के स्थान पर 5000.00 रुपये की रसीद का प्रावधान किया गया है ।

धारा 36 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 32 में दस्तावेज पर समुचित मुद्रांक युक्त होने का प्रमाण पत्र निष्पादन की तिथि से एक माह पश्चात पृष्ठांकन नहीं करने का प्रावधान है, अब कलेक्टर के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से मुद्रांक कर देने पर उक्त प्रतिबंध को शिथिल करने हेतु द्वितीय परन्तुक में संशोधन किया गया है ।

धारा 39 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 में अपर्याप्त मुद्रांक पर निष्पादित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करने के प्रावधान को इस धारा में संशोधन के साथ शामिल किया गया है ।

धारा 42 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 38 में संशोधन करके कलेक्टर मुद्रांक को मूल दस्तावेज भिजवाने पर खो जाने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए प्रमाणित प्रति को नए एक्ट उप धारा 2 के रूप में शामिल किया गया है ।

धारा 44 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के तहत 10 पैसे तक देय मुद्रांक योग्य दस्तावेजों के प्रावधान को अनुपयुक्त मानते हुए नए एक्ट में हटाया गया है ।

धारा 45 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 41 में निष्पादन की तिथि से एक वर्ष तक ही समुचित मुद्रांकित करने के प्रति बन्ध में शिथिलता देकर कलेक्टर के यहां प्रस्तुत करने की तिथि को प्रचलित ड्यूटी देने पर ही प्रमाणपत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

धारा 46 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 42 में दिवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के खण्ड 3 के स्थान पर दिवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 13 नियम 9 को शामिल स्थापित किया गया है ।

धारा 51 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 ए में आवश्यक संशोधन करके पंजीयन करके लौटाने के पश्चात भी कमी मालियत के मामले में पंजीयन अधिकारी को रेफरेन्स करने का अधिकार देने हेतु उपधारा 2 नई जोड़ी गई है ।

धारा 53 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 सी में आवश्यक संशोधन करके पंजीयन करके लौटाने के पश्चात गलत वर्गीकरण के मामले में पंजीयन अधिकारी को रेफरेन्स करने का अधिकार देने हेतु उपधारा 2 नई जोड़ी गई है ।

धारा 58 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 49 में आवश्यक संशोधन करके स्टाम्प रिफण्ड में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया है ।

धारा 65 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 56 में रिवीजन पेश करने के लिए कोई मयाद एवं बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि का प्रावधान नहीं था । इस धारा रिवीजन की मयाद आदेश की तिथि से 90 दिन व बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त का प्रावधान किया गया है ।

धारा 73 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 62 में अपर्याप्त स्टाम्प पर दस्तावेज निष्पादित करने पर 500.00 की शास्ति को 5000.00 किया गया है ।

धारा 74 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 63 में एडेसिव स्टाम्प को केन्सिल नहीं करने की शास्ति 100.00 से बढ़ाकर 1000.00 रुपये किया गया है ।

धारा 75 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 64 में मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले तथ्यों को छुपाने पर 3 वर्ष की सजा के साथ 5000.00 रुपये जुर्माने के प्रावधान को संशोधन कर, 3 वर्ष तक की सजा एवं 20000.00 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

धारा 77 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 में रसीद पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने पर 100.00 रुपये जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाकर 1000.00 रुपये किया गया है ।

धारा 78 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 66 में समुचित मुद्रांक पर बीमा पॉलिसी न होने पर शास्ति रुपये 200.00 को बढ़ाकर 2000.00 रुपये किया गया है ।

धारा 80 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 68 के तहत पूर्व की तिथि में विनियम पत्र प्रोमेसरी नोट या इस प्रकार के अन्य प्रकार के दस्तावेज निष्पादित करके सरकार को राजस्व नुकसार पहुँचाने पर देय शास्ति रुपये 1000.00 को बढ़ाकर 5000.00 रुपये किया गया है ।

धारा 82 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत नियम विरुद्ध एवं अनाधिकृत रूप से स्टाम्प विक्रय करने पर 6 माह तक की सजा एवं 500.00 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाकर 6 माह तक की सजा एवं 5000.00 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

धारा 84 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 72 में प्रेसीडेंसी टाउन शब्द अनुपयुक्त होने के कारण हटाया गया है ।

धारा 85 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 73 में विद्यमान निरीक्षण के अधिकार को विस्तृत किया गया है । कलेक्टर या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की रेन्क तक के अधिकारी को कलेक्टर द्वारा अधिकृत करने का प्रावधान किया गया है ।

धारा 87 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 75 में बनाये गए नियमों में 500.00 रुपये तक जुर्माना को बढ़ाकर 5000.00 रुपये किया गया है ।

राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998
दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

राजस्थान एक्ट, 1998 के प्रावधानों की ठोस पालना सुनिश्चित करने के लिए एवं मुद्रांक कर की अपवंचना को सीमित करने के लिए प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति एवं दंड का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

धारा 72 में मुद्रांक शुल्क के संबंध में पारित आदेश के अंतर्गत बकाया राशि जमा नहीं कराने पर आदेश की दिनांक से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवर्ति दर से ब्याज देय होने का प्रावधान है।

धारा 73 में अपर्याप्त स्टाम्प पर दस्तावेज निष्पादित करने पर शास्ति रूपये 5000.00 तक का प्रावधान है।

धारा 74 में एडेसिव स्टाम्प को केन्सिल नहीं करने की शास्ति को 1000.00 रूपये तक करने का प्रावधान है।

धारा 75 में मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले तथ्यों को छुपाने पर 3 वर्ष तक की सजा एवं 20000.00 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 76 में करापवंचन की नियत से गलत तथ्य अंकित करने के प्रकरण में अभियोजन किये जाने तक यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो वह दण्ड के साथ अतिरिक्त मुद्रांक कर की बकाया राशि भी वसूल कर सकेगा एवं उसका भुगतान कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

धारा 77 में रसीद पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने पर 1000.00 रूपये तक का प्रावधान है।

धारा 78 में समुचित मुद्रांक पर बीमा पॉलिसी न होने पर शास्ति रूपये 2000.00 तक का प्रावधान है।

धारा 79 में विनियम पत्रों या सामुद्रिक पॉलिसियों को सम्यक रूप से स्टाम्पित कागज पर निष्पादित नहीं करने पर 1000.00 रूपये तक दण्ड का प्रावधान है।

धारा 80 में पूर्व की तिथि में विनियम पत्र प्रोमेसरी नोट या इस प्रकार के अन्य प्रकार के दस्तावेज निष्पादित करके सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने पर देय शास्ति रूपये 5000.00 तक का प्रावधान है।

धारा 81 इस अधिनियम की धारा 85 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक लोक अधिकारी जिसके अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियाँ हैं, उनके निरीक्षण के परिणाम के तहत यह सिद्ध होता है कि इनमें समुचित शुल्क अदा नहीं किया गया है। निरीक्षण में सिद्ध दोष पाये जाने पर प्रथम अपराध के लिए 500.00 रूपये तक का जुर्माना, द्वितीय अपराध के लिए न्यूनतम 200.00 रूपये जो 1000.00 रूपये तक हो सकेगा एवं तृतीय और पश्चात्प्रति अपराध के लिए 2 वर्ष तक के कारावास एवं 2000.00 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 82 में नियम विरुद्ध एवं अनाधिकृत रूप से स्टाम्प विक्रय करने पर 6 माह तक की सजा एवं 5000.00 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 84 में किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया ऐसा प्रत्येक अपराध, किसी ऐसे जिले में, जिसमें दस्तावेज पाया गया है और साथ-साथ किसी ऐसे जिले में, जिसमें ऐसा अपराध तत्समय प्रवर्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विचारित किया जा सकता है विचारित किये जाने का प्रावधान है।

निर्देश और पुनरीक्षण
(Reference and Revision)

कमी मुद्रांक, गलत वर्गीकरण एवं कमी मालियत के दस्तावेजों में कलेक्टर मुद्रांक को रेफरेन्स करने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है।

1. कमी मुद्रांक के प्रकरण :-

जिन दस्तावेजों में निश्चित मुद्रांकों से कम मुद्रांक लगे होते हैं या बिना मुद्रांक पर निष्पादित होते हैं, ऐसे दस्तावेजों को कमी मुद्रांक पर निष्पादित माना जाकर रेफरेन्स की कार्यवाही की जाती है।

(क) उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने या किसी लोक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में यह पाये जाने पर कि दस्तावेज कम मुद्रांक या बिना मुद्रांक पर निष्पादित है, तो उसे निरोध (इम्पाउण्ड) करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 37 में किया गया है। रेफरेन्स करने से पूर्व धारा 54 के तहत संबंधित पक्षकारों को अन्तर राशि जमा कराने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। कमी राशि जमा नहीं होने पर ऐसे मामलो में धारा 42 के तहत कमी राशि का अन्तर बताकर धारा 42 के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को भिजवाने का प्रावधान है।

(ख) निरीक्षण के दौरान कमी मुद्रांक या बिना मुद्रांक का दस्तावेज पाये जाने पर अधिनियम की धारा 37 (4) के तहत निरीक्षण अधिकारी या उप पंजीयक द्वारा रेफरेन्स करने का प्रावधान है। रेफरेन्स करने से पूर्व धारा 54 के तहत संबंधित पक्षकारों को अन्तर की राशि जमा कराने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

2. कमी मालियत के प्रकरण :-

हस्तांतरित सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित बाजार दर से कम दर्शा कर दस्तावेज पंजीबद्ध कराने पर दो स्टेज पर रेफरेन्स किया जाता है।

(क) अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण का दस्तावेज पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित बाजार दर से मूल्यांकन करने का प्रावधान है। पक्षकारों द्वारा बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर अदा नहीं करने की स्थिति में धारा 54 के तहत सूचित करने के पश्चात् दस्तावेज पंजीबद्ध करने से पूर्व या उसके पश्चात् मूल दस्तावेज अधिनियम की धारा 51 (1) में रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को धारा 51 (3) के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

(ख) दस्तावेज पंजीबद्ध करके लौटाने के पश्चात् कमी मालियत का रेफरेन्स अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत पक्षकार से मूल दस्तावेज तलब किये जाने का प्रावधान है। पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दस्तावेज की सत्य प्रति के आधार पर रेफरेन्स किया जा सकता है। रेफरेन्स भेजने से पूर्व धारा 54 के तहत अन्तर राशि जमा कराने के लिए संबंधित पक्षकारों को सूचित करना आवश्यक है। कमी राशि जमा नहीं होने के तहत धारा 51 (4) के तहत रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को किये जाने का प्रावधान है।

3. गलत वर्गीकरण के मामलों में रेफरेन्स :-

- (क) उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश होने पर आवश्यक जाँच के पश्चात् यदि दस्तावेज गलत प्रकृति का पाया जाता है तो उसकी सही प्रकृति बताते हुए उसके अनुसार कमी मुद्रांक कर की राशि जमा कराने हेतु धारा 54 के अनुसार संबंधित पक्षकार को सूचित किया जाना चाहिए। नोटिस के पश्चात् भी पक्षकार द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर दस्तावेज गलत प्रकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत पंजीयन से पूर्व या पश्चात् मूल दस्तावेज धारा 53 (3) के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।
- (ख) दस्तावेज पंजीयन करके लौटाने के पश्चात् पंजीयन अधिकारी की गलती से या अन्यथा दस्तावेज गलत प्रकृति के रूप में पंजीबद्ध होना पाया जाता है तो धारा 53 (2) के तहत मूल दस्तावेज पक्षकार से तलब किये जाने का प्रावधान है। पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दस्तावेज की सत्य प्रति के आधार पर रेफरेन्स किया जाना चाहिए। रेफरेन्स भेजने से पूर्व अन्तर की राशि जमा कराने हेतु धारा 54 के तहत संबंधित पक्षकारों को सूचित करना आवश्यक है। राशि जमा नहीं होने पर धारा 53 (4) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाये जाने या स्वयं के ध्यान में आने पर धारा 53 (5) के तहत स्वविवेक के आधार पर कार्यवाही करने का प्रावधान है।

INDIAN REGISTRATION ACT 1908

- SEC 17
- 1.Document of which registration is compulsory
- (a) Instrument of gift
- (b) Instrument which operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future, any right title or interest whether veasted or contingent of the value above hundred rupees to or in immovable property
- (c) Instrument which acknowledge the receipt or payment of any consideration
- (d) Lease of immovable property for any term exceeding one year
- (e) Instrument transferring or assigning any decree or order of a court as per sub sec (b)
- (f) agreement to sell of immovable property possession whereof is handed over
- (g) irrevocable power of attorney relating to transfer of immovable property

17 (2) Nothing in clause (b) and (c) sub sec(1) applies to

- (i) Any composition deed
- (ii) shares in a joint-stock-company
- (iii) Any debenture issued by any company
- (iv) Transfer of any debenture
- (v) document merely creating a right to obtain another document
- (vi) Any decree or order of court
- (vii) Any grant of immovable property by the government
- (viii) Instrument of partion by revenue officer
- (ix) instrument of collateral security
- (x) Any order granting a loan unde agriculture loans act 1884
- (xi) any endorsement on mortgage deed
- (xii) Certificate of sale auction by civil or revenue officer
- (xiii) Any insrument reffered in sub setion (5) of sec. 89

(3) Authorities to adopt a son

20—दस्तावेज, जिनमें अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन है। —(1) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर किसी भी ऐसी दस्तावेज को जिसमें कोई अन्तरलेखन खाली स्थान उद्धर्षण या परिवर्तन हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक में उस दशा के सिवाय इन्कार कर सकेगा जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ऐसे अन्तरलेखन, खाली स्थान, उदघर्षण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरो से अनुप्रमाणित कर देते हैं।

(2) यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर किसी ऐसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करता है तो उसके रजिस्ट्रीकरण के समय वह ऐसे अन्तरालेखन, खाली स्थान उदघर्षण या परिवर्तन के बारे में टिप्पणी रजिस्टर में दर्ज कर लेगा।

21—सम्पति का वर्णन और मानचित्र या रेखांक :-' स्थावर सम्पति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जब तक कि उसमें ऐसी सम्पति की पहचान के लिए प्रयाप्त ऐसी सम्पति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न की जाएगी।

(2) नगरो और गृहो का वर्णन उनके सामने वाले मार्ग या सडक के (जो विनिर्दिष्ट की जाएगी) उत्तर में या अन्य दिशा में उनके स्थित होने के रूप में उनके वर्तमान और भूतपूर्व अधिमार्गो से और यदि ऐसे मार्ग या सडक पर के गृहो पर संख्यांक पडें हो तो उनको संख्यांक देकर, किया जायेगा

(3) अन्य गृहों और भूमियों का वर्णन उनके नाम से, यदि कोई हो, और उस प्रादेशिक खण्ड में, जिसमें वे स्थित हैं होने के रूप में और उनकी उपरिष्ठ वस्तुओं से उन सडकों और अन्य सम्पतियों से, जिनसे वे मिली हुई हैं, और उनके वर्तमान अधिभोगो से और जहाँ कि यह साध्य हो वहाँ सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से भी किया जाएगा।

(4) कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जिसमें उस सम्पति का, जो उसमें समाविष्ट हैं मानचित्र या रेखांक अन्तर्विष्ट हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक प्रतिगृहीत न की जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के साथ मानचित्र या रेखांक

की सही प्रति न हो या उस दशा में जब कि ऐसी सम्पति कई जिलों में स्थित है मानचित्र या रेखांक की उतनी सही प्रतियाँ न हो जितनी के ऐसे जिलों की संख्या है।

23-दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय- धाराओं 24,25,और 26 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि विल से भिन्न कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उस दशा के सिवाय प्रतिगृहीत न की जायेगी जिसमें अपने निष्पादन की तारीख से चार मास के अन्दर व समुचित आफिसर के समक्ष इस प्रयोजन के लिए उपस्थित कर दी गई हो,

परन्तु डिक्री या आदेश की प्रति, डिक्री या आदेश के किये जानें के दिन से चार मास के अन्दर या जहाँ कि वह अपीलनीय हैं वहाँ अपनी अन्तिम होने की तारीख से चार मास के अन्दर उपस्थित की जा सकेगी।

27-विल के किसी भी समय उपस्थित या निक्षिप्त किया जा सकेगा- विल एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित रीति से किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित या निक्षिप्त की जा सकेगी।

28-भूमि संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान - इस भाग में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में वर्णित हर दस्तावेज, धारा 17 की उप धारा (2) में वर्णित हर दस्तावेज वहाँ तक, जहाँ तक कि ऐसी दस्तावेज स्थावर सम्पति प्रभाव डालती हैं और धारा 18 के खण्ड (क), (ख), (ग) और (गग) में वर्णित हर दस्तावेज उस उपरजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जाएगी जिसके उप-जिले में वह जिले में सब सम्पति या उसका कोई भाग स्थित है जिससे ऐसी दस्तावेज संबंधित हैं।

32-दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करने वाले व्यक्ति :- धाराओं 31,88 और 89 में वर्णित दशाओं को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली हर दस्तावेज, चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य चाहें वैकल्पिक हो, समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित की जायेगी।

(क) उसे निष्पादित या उसके अधीन दावा करने वाला किसी डिक्री या आदेश की प्रति की दशा में उस डिक्री या आदेश अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि या समनुदेशित अथवा

(ग) ऐसे व्यक्ति, प्रतिनिधि या समनुदेशित का ऐसा अभिकर्ता जो एतस्मिन्पश्चात् वर्णित रीति से निष्पादित और अधिप्रमाणिकृत मुख्तारनामें द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं।

32 (A) compulsory affixing of photographs etc -Every person presenting any document at the proper registration office under sec. 32 shall affix his passport size photograph and fingerprints to the document.

provided that where such document relates to the transfer of ownership of immovable property, the passport size photograph and fingerprints of each buyer and seller of such property mentioned in the document shall also be affixed to the document.

34-रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जाँच :- (1) इस भाग में और धाराओं 41,43,45,69,75,77,88,और 89में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत न की जायेगी जब तक कि उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि, समनुदेशित या पूर्वोक्त जैसे रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता धाराओं 23,24,25 और 26 के अधीन उसे उपस्थापित करने के लिए अनुज्ञात समय के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर के समक्ष उप संजात न हो।

परन्तु यदि सब ऐसे व्यक्ति अर्जेंट आवश्यकता या अपरिवर्तनीय घटना के कारण ऐसे उपसंजात नहीं होते हैं तो रजिस्ट्रार उन दशाओं जिनमें की उपसंजाति होने में विलम्ब चार मास से अधिक नहीं है, यह निदेश द सकेगा कि समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अनधिक जुर्माने के उस जुर्माने के अतिरिक्त, यदि कोई हो, जो धारा 25 के अधीन सदस्य हैं, संदाय पर उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन उप संजातिया एक ही समय पर या विभिन्न समयों पर हो सकेगी।

(3) रजिस्ट्रकर्ता आफिसर तदुपरि

(क) यह जाँच करेगा कि ऐसी दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई थी या नहीं जिनके द्वारा उनका निष्पादित किया जाना तात्पर्य है,

अपने समक्ष उपसंजात हाने वाले और यह अभिकथन करने वाले कि वह दस्तावेज उन्होंने निष्पादित की है, व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा

(ग) जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समनुदेशित के या अभिकर्ता के रूप में उपसंजात हो रहा है तब ऐसे व्यक्ति के ऐ उपसंजात होने के अधिकार के बारे में अपना समाधान करेगा।

(4) उपधारा(1) के परन्तुक के अधीन निदेश के लिए कोई भी आवेदन उपरजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जा सकेगा जो तत्क्षण उसे उस रजिस्ट्रार के भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है।

(5) इस धारा की कोई भी बात डिक्रियों या आदेशों की प्रतियों का लागू नहीं है।

35-निष्पादन की क्रमशःस्वीकृती और प्रत्याख्यान पर प्रकियाँ -(1)(क)यदि दस्तावेजों को निष्पादन करने वाले सब व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर के समक्ष स्वयं उपसजित होते हैं। और वह उन्हें स्वयं जानता है या यदि उसका अन्यथा समाधान हो जाता है। कि वे वही व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत व्यपदेश करते हैं, और यदि दस्तावेज के निष्पादन को वे सब स्वीकृत कर लेते हैं, अथवा

(ख)जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समनुदेशित या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होता है ऐसा प्रतिनिधि, समनुदेशित या अभिकर्ता निष्पादन को स्वीकार कर लेता है अथवा

(ग)यदि दस्तावेज को निष्पादन करने वाला व्यक्ति मर गया है और उसका प्रतिनिधि या समनुदेशित रजिस्ट्रकर्ता आफिसर के समक्ष उपसंजात होता है और निष्पादन को स्वीकार लेता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर दस्तावेज की धारा 58 से लेकर धारा 61 तक की धाराओं में, जिनके अन्तर्गत ये दोनो धाराए भी हैं निर्दिष्ट तौर पर रजिस्ट्रीकरण करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर इस उद्देश्य से कि वह अपना समाधान कर ले कि उसके समक्ष उपसंजात होने वाले व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत व्यपदेश करते हैं या इस अधिनियम द्वारा अनुध्यात किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सके। (3)(क) यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्यित है उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे अथवा (ख) यदि कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को अप्राप्त वय जड पागल प्रतीत होता है अथवा

(ग) यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्यित है मर गया है। और उसका प्रतिनिधि या समनुदेशिती उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसे प्रत्याख्यान करने वाले प्रतीत होने वाले या मृत व्यक्ति का जहाँ तक संबंध हैं वहाँ तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने सं इंकार कर देगा।

40—विल को दत्तग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के हकदार व्यक्ति (1) वसीयकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात् विल के अधीन निष्पादक के रूप में या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसें रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेंगा

(2) किसी भी दत्तक प्राधिकार दाता या उसकी मृत्यु के पश्चात् उस प्राधिकार का आदाता या दत्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

41— विलो का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण – वसीयत या दाता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई विल या दत्तक प्राधिकार किसी भी अन्य दस्तावेज की रीति जैसी ही रीति से रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा

(2) उस विल या दत्तकग्रहण प्राधिकार का जो उसें उपस्थापित करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जावे उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जासेगा जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का समाधान हो जावे (क) विल का प्राधिकार यथा स्थिति वसीयत कर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था (ख) वसीयकर्ता या दाता मर गया हैं तथा (ग) बिल या प्राधिकार को उपस्थापित करने वाला व्यक्ति उसें स्थापित करने का धारा 40 के अधीन हकदार है।

51—रजिस्ट्री की पुस्तकें जो विभिन्न कार्यालयों में रखी जावगी – क—सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में

पुस्तक संख्या 1— स्थावर सम्पत्ति से संबंधित निर्वसीयती दस्तावेजों का रजिस्टर

पुस्तक संख्या 2— रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए कारणों का अभिलेख

पुस्तक संख्या 3—विलो और दत्तकग्रहण प्राधिकारों का रजिस्टर

पुस्तक संख्या 4— विविध रजिस्टर

(ख) रजिस्ट्रार के कार्यालय में

पुस्तक संख्या 5— विलों के निक्षेपों का रजिस्टर

57—रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणीकाओं का निरीक्षण करने देंगे और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियाँ देंगे

(1) इस निमित्त देय फीस की पूर्व अदायगी कियें जाने की शर्त के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 1 और 2 पुस्तक संख्या 1 से संबंध अनुक्रमणिकाएँ ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली होगी जो कि उनके निरीक्षण करने के लिए आवेदन करें और धारा 62 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए ऐसी पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रतियाँ ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों का दी जावेगी।

(2) उन्ही उप बन्ध के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 3 की और उससे संबंध अनुक्रमणिकाओं की प्रविष्टियों की प्रतियाँ उन दस्तावेजों का जिनसे की ऐसे प्रविष्टिया संबंध है। निष्पादन करने वाले व्यक्ति को या उनके अभिकर्ताओं की और निष्पादको की मृत्यु के पश्चात् (न कि उसके पूर्व) ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को दी जावेगी।

(3) उन्ही उप बन्ध के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 4 की और उससे संबंध अनुक्रमणिकाओं की प्रतियाँ उन दस्तावेजों का जिनके की ऐसी प्रविष्टिया निर्देश करती है। निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि को दी जावेगी।

(4) पुस्तक संख्या 3 और 4 में की प्रविष्टियों के लिए इस धारा के अधीन अपेक्षित तलाशी केवल रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की जावेगी।

60—रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र – 1— धारा 34 35 58 और 59 के उप बन्धों में से उन उपबन्धों का जो रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज को लागू हैं, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसे प्रमाण, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्वित हो उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गयी है, उस पर पृष्ठांकित करेगा।

2— ऐसा प्रमाण रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और दिनांकित किया जावेगा और तब वह यह साबित करने के प्रयोजन के लिये ग्राह्य होगा कि वह दस्तावेज इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित रिति से सम्यक रूप में रजिस्ट्रीकृत की गयी है और धारा 59 में निर्दिष्ट पृष्ठांकन में वर्णित तथ्य वेसे ही घंटित हुए हैं, जैसे कि उसमें वर्णित है।

81— दस्तावेजों का पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण क्षति पहुंचाने के आशय से अशुद्धतः करने के लिये शास्ति

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसके कार्यालय में नियुक्त हर नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण का भार साधन करते हुए ऐसे दस्तावेजों को ऐसी रिति से, जिसे वह जानता है या विश्वास करता है, कि वह अशुद्ध है इस आशय से कि एतद् द्वारा या यह जानते हुए यह सम्भाव्य है कि वह एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 में यथा परिभाषित क्षति पहुँचायेगा, पृष्ठांकित करेगा, नकल करेगा, अनुदित करेगा, या रजिस्ट्रीकृत करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा।

82— मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादन को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिये शास्ति

जो कोई (क) कोई मिथ्या कथन चाहे वह शपथ पर हो या नहीं, और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं, ऐसे ऑफिसर के समक्ष जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में साशय करेगा अथवा (ख)

रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा 19 या 21 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा अथवा (ग) किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समय या कमीशन निकलवायेगा या कोई अन्य कार्य करेगा या (घ) इस अधिनियम द्वारा दंडनीय की गयी किसी बात का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

83- रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिये जो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय हैसियत में आया है, अभियोजन उस महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी अनुज्ञा से प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसकी यथास्थिति क्षेत्र, जिले या उप जिले में अपराध किया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अन्यून शक्तियां प्रयोग करने वाले ऐसे किसी भी न्यायालय या ऑफिसर द्वारा विचारणीय हो ।

84- रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर लोक सेवक समझे जावेंगे

1- इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्दर लोक सेवक समझा जावेगा ।

2- हर व्यक्ति अपने से ऐसा करने के अपेक्षा ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा किये जाने पर उसे जानकारी देने के लिये वैध रूप से आबद्ध होगा ।

3- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 में न्यायिक कार्यवाही शब्दों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही समझी जावेगी ।

86- रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा अपनी पदीय हैसियत से सदभाव पूर्वक की गयी या इन्कार की गयी किसी बात के लिये दायी न होगा 87- ऐसे की गयी कोई भी बात नियुक्ति या प्रक्रिया में त्रुटि के कारण अविधि मान्य नहीं होती ।

इस अधिनियम या एतद् द्वारा निरस्त किसी भी अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक किसी भी रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा की गयी कोई भी बात उसकी नियुक्ति या प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि के कारण अविधि मान्य नहीं समझी जावेगी ।

88- सरकारी ऑफिसरों या कतिपय लोक कृत्य कारियों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

इस अधिनियम के अधीन किसी बात के होते हुए भी (क) सरकार के किसी भी ऑफिसर के लिये अथवा (ख) किसी भी महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या शासकीय समनुदेशिनी के लिये अथवा (ग) शेरिफ, रिसीवर या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के लिये अथवा (घ) किसी ऐसे अन्य लोकपद के लिये जैसा राज्य सरकार शासकीय राज पत्र में तन्निमित्त निकाली गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, तत्समय धारक के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह अपने द्वारा या अपने पदीय हैसियत में निष्पादित किसी लिखत के लिये रजिस्ट्रीकरण से संशक्त किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात को या धारा 58 में उपबधित हस्ताक्षर करे ।

नियम 20- पुस्तकों तथा रजिस्ट्रों का न्यायालय में प्रस्तुतीकरण

उप रजिस्ट्रार स्वयं अपने प्राधिकार से अपने कार्यालय के रजिस्ट्रों तथा पुस्तकों को न्यायालयों में प्रस्तुत करने से शक्ति से निषिद्ध किये गये है, जब कोई उप रजिस्ट्रार अपने कार्यालय से रजिस्ट्रों या पुस्तकों के प्रस्तुत किये जाने के लिये किसी न्यायालय से आदेश या सम्मन सीधे प्राप्त करें तो उसे इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर देना चाहिये कि वह जिला रजिस्ट्रार के प्राधिकार के बिना रजिस्ट्रार या पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिये आसक्त नहीं है और कि यदि न्यायालय रजिस्ट्रों या पुस्तकों की अपेक्षा करे तो आदेश या सम्मन जिला रजिस्ट्रार को सीधे सम्बोधित किया जाना चाहिये । ऐसे सम्मन या आदेश प्राप्त करने वाला जिला रजिस्ट्रार मूल अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ।

नियम 39- रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों का दस्तावेजों की विधि मान्यता से संबंध नहीं होगा

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए की रजिस्ट्रीकरण के लिए उनकेसमक्ष लाये गये दस्तावेजों की विधि मान्यतासे उनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और कि नीचे दिये गये ऐसे किन्ही भी आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करना उनके लिएगलत होगा

1- निष्पादि ऐसी सम्पति का सं व्यवहार कर रहा हैं जो उसकी नहीं है। परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि सम्पति सरकार अथवा स्थानीय निकाय से संबंधित नहीं है।

2- लिखित में ऐसे तृतीय प्रक्षकारों के अधिकारों का अतिलंधन किया गया हैं जो सं व्यवहार के पक्षकार नहीं हैं

3- सं व्यवहार कपटपूर्ण है।

4- निष्पादि दस्तावेजों की कतिपय शर्तों से सहमत नहीं हैं

5- निष्पादि दस्तावेज की शर्तों से परिचित नहीं है

6- निष्पादि में धोषण की है कि निष्पादान करने में उसें धोखा दिया गया है

7- निष्पादि अंधा हैं और गिन नहीं संकता ।

ये और ऐसे ही मामलें समक्ष विधि -न्यायालयों द्वारा विनिश्चय यदि आवश्यक हो के लिए हैं और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के रूप में उनके संबंध में कुछ नहीं करना है, यदि दस्तावेज सक्षम व्यक्तियों द्वारा उचित रीति से उचित कार्यालय में विधि द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत किया जाये और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का समाधान हो जाये कि अभिकथित निष्पादि वही व्यक्ति हैं जो स्वयं को बतात है, और यदि ऐसा व्यक्ति निष्पादन स्वीकार करता है। तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इसके संभव प्रभावो को ध्यान में लाये बिना दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आबद्ध हैं किन्तु रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उक्त 1 से 7 में उल्लेखित प्रकार के आधारों की ऐसी आपत्तियों की टिप्पणी करेगा जो धारा 58 द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन में उसके नोटिस में लाये जायेगें ।

Schedule for stamp duty

Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
1 Adoption deed	3	Rs 100
2 Agreement to sale without possession	5(bb)	3%
3 Agreement to sale with possession	21	5%(market value)
4 Agreement of loan	5(bbb)	0.1%
5 Agreement/Power of Dovelpment	5(bbbb)	1%(marketvalue)
6 Agreement	6	Rs 100
7 Award	13	Rs 100
8 Cancellation deed	16	Rs 100
9 Certificate of sale	17	5%(On consideration)
10 counterpart	23	Rs10
11 Correction deed/supplementary deed	24	Rs 100
12 Divorce deed	27	Rs 50
13 Exchange Deed	29	5%(market value of larger share)
14 Exchange deed (Agri. land s 48 RTAct)	29	0
15 Mortgage Deed without possession	37	5% (On consideration)
16 Mortgage deed with possession	37	5% (market value)
17 Mortgage deed of housing loan from banks	37	1% (7-3-94)
18 Mortgage deed by servant of registered institution for housing loan	37	1%
19 Mortgage Deed govt. servant	37	0
20 Mortgage for housing loan in LIG	37	0
21 Mortgage for Agriculture purpose	37(27.11.98)	0
22 Power of Att. Gen. (oth. than blood) For transfer of immovable prop. (mother, father, brother, sister, wife, son, daughter, grand son grand daughter.)	44ee(12.7.04)	2%
23 Power of Att. for sale of immovable prop. (within blood)	44 (12.7.04)	2000
24 Power of Att. (Authentication)	Sec.33	0
25 Power of att. (General)	44 (f)	Rs 50
26 Power of att. (Consideration)	44 (e)	5%
27 Partnership Deed	43	500
28 Partition Deed	42	5%
29 Partition (Ancestral) notific.9-7-98	42	1% (Max Rs 10000)
30 Partition deed of Ancestral Agri. land	42	0
31 Lease deed below 20 Years (Resi.)	33 (5.3.03)	1%
32 Lease deed below 20 Years (comm.)	33 (5.3.03)	2%
33 Lease deed more than equal to 20 Yrs	33	5% (marketvalue)
34 Mining lease/Trans. of Mining lease (dead rent double plus other expense)	33 Not. 24/8/07	1%
35 Consent deed(NOC) for Mining lease	21 (15.1.98)	5%
36 Trust deed	56	60 Rs
37 Trust revocation	56	50 Rs
38 Settlement (In fav. of family Members)	51(30.3.2000)	2.5%
39 Surrender of Lease	54	100
40 Dissolutions of Partnership	43	500

41	Release deed (Ancestral)	48	100 Rs.
42	Release deed (Ancestral) agri. land	48	100 Rs.
43	Release deed (Non Ancestral)	489 (14.1.04)	5%
44	Gift deed	31	5%
45	Gift deed (Wife, Mother, Sister, Daughter.-in-law Brother, son)	31 (12.7.04)	2.5 %
46	Will	-	0
47	Mortgage for non Agriculture purpose from Bank & any Financial Institution	37	1%
48	Sick Unit (Industrial) (26.7.03)	u/s 29 rfc act	0
49	Trans. of Lease by way of Assignment	55	5%(marketvalue)
50	Lease deed for local bodies (consideration+2 yrs rent+ penalty+interest if any)	33 (23.02.07)	5%
51	gift deed in favor of grampanchayat / panchayat samiti	Notific. 26.3.99	0
52	Partition deed of Ancestral Agri. Land	Notific. 26.3.99	0
53	Construction RCC	Notific. 08.12.09	Rs.600 per Sq. feet
54	Construction Patti pos	Notific. 08.12.09	Rs.400 per Sq. feet
55	Teen shed		Rs.1500per Sq. Meter
56	Boundary walls		Rs.300per running Meter